न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–138/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/138)

1. श्रीमती डोरथीना पत्नि डेविड, जाति इसाई, निवासी लेबर कॉलोनी, भीलवाडा।
2. रॉकी पुत्री डेविड, जाति ईसाई, निवासी गणेशपुरा, ब्यावर।
3. श्रीमती मोना पुत्री डेविड, जाति ईसाई, निवासी नाहरगढ मन्दसौर मध्यप्रदेश।
4. श्रीमती बबली पुत्री बरकत जी, जाति ईसाई निवासी 91, जैन गुरूकुल स्कूल गणेशपुरा ब्यावर।
5. श्रीमती अफरोज पुत्री बरकत जी, जाति ईसाई निवासी गणेशपुरा, ब्यावर।
6. सतीश पुत्र बरकत जी जाति ईसाई निवासी गणेशपुरा ब्यावर।
7. डैनी पुत्र एल्वर्ट
8. श्रीमती मीनू पुत्री एल्वर्ट
   दोनों जाति ईसाई निवासी जैन गुरूकुल स्कूल गणेशपुरा ब्यावर।
9. श्रीमती चीमू पुत्री लाजरस पत्नि रेमण्ड जाति ईसाई, निवासी मार्गो गुडिया, लुहार मौहल्ला, ग्राम नारदपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. श्रीमती मुन्नी पुत्री लाजरस पत्नि रामगोपाल पैट्रिक जाति ईसाई निवासी म0न0 4851, जवाहर नगर पासंल रोड भीलवाडा।
11. श्रीमती शानू पुत्री लाजरस पत्नि फेड्रिक जाति ईसाई निवासी माना देवा का बाडा दहेडिया तहसील भीम, जिला राजसमंद।
12. बिल्लू उर्फ लुईस पुत्र लाजरस, जाति ईसाई, निवासी भीलवाडा।
13. सुनीता पुत्री जॉर्ज, जाति ईसाई निवासी आतेड रोड कच्ची बस्ती ब्यावर।
14. सुशील पुत्र जॉर्ज, जाति ईसाई निवासी शिवबस्ती मसोरिया, जोधपुर।
15. अनिल पुत्र जॉर्ज, जाति ईसाई, निवासी आंतेड रोड कच्ची बस्ती ब्यावर।
    समस्त अपीलांट्स संख्या 1 लगायत 15 जरिए मुख्त्यारआम श्री पंकज चौहान पुत्र श्री तोताराम, जाति माली, निवासी एलआईसी ऑफिस के सामने, पानी की टंकी, उदयपुर रोड, ब्यावर।
16. वन्दना पत्नि सुनील जाति ईसाई निवासी गणेशपुरा ब्यावर।
17. साहिल पुत्र सुनील जाति ईसाई जरिए संरक्षक माता वन्दना निवासी गणेशपुरा ब्यावर।
18. एमलिना पुत्री एलफ्रेड (मृतक) जरिए वारिसानः–
    18/1 अनिता समुअल
    18/2 शीला एन्थोनी
    18/3 सरोज पत्नि नरेन्द्र जोजफ
19. मरियाम पुत्री बंशीलाल (मृतक) जरिए वारिसानः–
    19/1 टम्मू पुत्री मरियाम पत्नि कनक सेन
20. मारथा पुत्री बंशीलाल
21. लाजवन्ती पुत्री इमामवेल
22. लाजवन्ती उर्फ माया पुत्री इमामबेल
23. स्टेला पुत्री बंशीलाल
24. जसटीन पुत्र हजारी नाबालिग जरिए संरक्षक मीनू पत्नि एलवर्ट
    समस्त जाति ईसाई, निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला ब्यावर।
25. अनिल पुत्र ऐजक
26. आईविन पुत्र ऐजक
27. आशा पुत्री ऐजक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

28. टीजा पत्नि ऐजक
समस्त जाति ईसाई, निवासी गणेशपुरा, तहसील व जिला ब्यावर।
समस्त अपीलांट्स संख्या 25 लगायत 28 जरिए मुख्त्यारआम श्री पंकज चौहान पुत्र श्री तोताराम, जाति माली, निवासी एलआईसी ऑफिस के सामने, पानी की टंकी, उदयपुर रोड, ब्यावर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 232/2023 (2023/344)</u>

उपस्थितः–
1. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः–24.11.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 232/2023 (2023/344) में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स को जरिए सम्मन तलब किया। तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक 5256 दिनांक 12.03.2024 से न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड स्थिति बाबत कथन किया गया व साथ ही पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 को प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन वाद कार्यवाही साक्ष्य वादी में वादीगण की ओर से नियुक्त मुख्त्यारआम पंकज चौहान द्वारा आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत शपथ पत्र व मुख्त्यारनामा पेश किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

वादीगण की ओर से अपने दावे को साबित करने हेतु प्रदर्श 1 लगायत 18 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण बहस सुनने के उपरांत एवं दावा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने तथा रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 18 का अवलोकन करने के पश्चात वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से दिनांक 07.01.2025 को खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 232/2023 (2023/344) में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरन्दाज कर दिया कि वादी/अपीलांटस द्वारा अपने वाद पत्र में आधार दस्तावेज चर्च ऑफ स्कॉटलेण्ड राजपुताना मुख्य मिसवीटियरल मिशन द्वारा निष्पादित पंजीकृत दान पत्र दिनांक 5.10.1959 जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि बंशीलाल व रहमतमसीह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तथा उक्त दोनों ही प्रश्नगत भूमि के विधिवत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे, चूंकि वरवक्त नामान्तरकरण उनके नाम के आगे चर्च ऑफ स्कॉटलेण्ड प्रबन्धकर्ता दर्ज कर दिया गया, जो कि प्रथम दृष्टया गलत दर्ज किया गया, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु बंशीलाल व रहमतमसीह के वारिसान द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर चर्च ऑफ स्कॉटलेण्ड प्रबन्धकर्ता को हटाए जाने हेतु निवेदन किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्यो में उक्त पंजीकृत दान पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई, जो कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदर्श 1 व 12 दिनांक 13.2.2024 मार्क की गई तथा उक्त दस्तावेज वादीगण के वाद पत्र को सिद्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज होकर रिकार्ड पर उपलब्ध था, उक्त दस्तावेज को स्वयं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित करते हुए राजस्व रिकार्ड की प्रति अनुसार शुद्धि किया जाना उचित होना माना गया अर्थात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त दस्तावेज बाबत कोई विपरीत साक्ष्य नहीं था, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया जाना नहीं पाया गया, जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध होकर निर्णय जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरन्दाज कर दिया कि वादी को अपने वाद पत्र में वर्णित कथनों को सिद्ध कराने का दायित्व स्वयं पर था, जिसके बाबत उसके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो में प्रदर्श 1 लगायत 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए व मौखिक साक्ष्य में स्वयं के मुख्त्यारआम के बयान कलमबद्ध कराए गए। उक्त समस्त दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति थी, किसी प्रकार का कोई फोटो कॉपी दस्तावेज जो अप्रमाणित था, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणित दस्तावेज होने के फलस्वरूप ही न्यायालय द्वारा दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किए गए। कानूनन स्थिति अनुसार प्रदर्श दस्तावेज को साक्ष्य हेतु पढा जाना आवश्यक है, उक्त दस्तावेज से वादीगण का वाद पूर्णतया सिद्ध था, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्णतया दरकिनार करते हुए अपने निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि फोटो प्रति को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, जबकि वादीगण ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

वाद पत्र में उक्त दस्तावेजात को आधार बनाकर ही प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधिविरूद्ध होकर निर्णय जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरन्दाज कर दिया कि वादीगण के वाद पत्र का प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.3.2024 को अपने पत्रांक द्वारा विधिवत जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त सम्पूर्ण जवाब कार्यवाही में राजस्व रिकार्ड का सम्पूर्ण हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि विधिवत दस्तावेज द्वारा प्रश्नगत भूमि बंशीलाल व रहमतमसीह के नाम पर दर्ज हुई है, रजिस्टर्ड गिफ्टडीड व राजस्व रिकार्ड अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है, अर्थात् वादी के वाद पत्र को स्वयं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा शुद्धि की विषयवस्तु को सही होना माना गया है, किसी प्रकार का कोई उज्र तहसीलदार द्वारा नहीं लिया गया, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे कि वाद वादी को खारिज किया जा सके। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया दरकिनार कर केवल मात्र वाद को खारिज किए जाने की नियत से जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निर्णय जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह वर्णित करते हुए कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमियों के विषय में कब्जे संबंधित विषयवस्तु जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है, के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध है, वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कब्जे संबंधित किसी विषय वस्तु को नहीं रखा गया, वादी का वाद केवल राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि, जिसमें चर्च ऑफ स्कॉटलेण्ड प्रवन्धककर्ता दर्ज था, उसे हटाकर मात्र बंशीलाल व रहमत मसीह के वारिसान के नाम ही भूमि रखी जाने व उक्त बावत दुरूस्ती किए जाने का निवेदन किया गया था, कब्जे संबंधित कोई विवाद पक्षकारों के मध्य नहीं है एंव ना ही कब्जा प्राप्ति हेतु कोई वाद प्रस्तुत किया गया है तथा तहसीलदार, ब्यावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह कही कथन नहीं किया गया कि पक्षकारों के मध्य कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र में कब्जे बावत कोई बिन्दु नहीं होने के उपरान्त भी वाद खारिज करने की नियत से अनावश्यक कब्जे का उज्र लेते हुए जो निर्णय पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निर्णय जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय हाजा अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 232/2023 (2023/344) में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपनी बहस के पक्ष में न्यायालय हाजा के समक्ष वंदना पत्नि सुनील, रॉकी उर्फ सुनील पुत्र डेविड, सतीश उर्फ शेरू पुत्र बरकत, मीनू पुत्री एल्वर्ड, अफरोज पुत्री बरकत, के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात बावत अपीलांट के पूर्वजों के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात में अंकित संबंधित चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड का नाम विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने तथा विवादित आराजीयात बावत वादीगण/अपीलांट का निरंतर कब्जा तथा अपीलांट द्वारा अपने मुख्त्यारनाम पंकज चौहान को पैरवी करने संबंधित अधिकार का कथन कर उक्त अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्र कमांक 5256 दिनांक 12.3.2024 की रिपोर्ट में राजस्व रेकार्ड की स्थिति बावत कथन किया गया है, साथ मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 4.3.2024 के अनुसार वादग्रस्त खसरान की भूमियों पर जरिये मुख्तियार आम पंकज चौहान पुत्र तोताराम चौहान जाति माली का भौतिक रूप से कब्जा होना पाया गया व खसरा नंबर 299 पर लगभग 500 वर्गमीटर यानि 0.0500 हैक्टयर भूमि पर आवासीय मकानात मय चार दीवारी निर्मित है, एंव 0.1119 हैक्टयर भूमि मौके पर पडत रिक्त है। जिसका मालिकाना हक जरिये मुख्तियार आम पंकज चौहान का भौतिक कब्जा होना पाया गया। उक्त खसरा नबर 299 में बने आवासीय मकानात में आवानरत मकान मालिकों को प्राप्त मुख्तियारआम श्री पंकज चौहान द्वारा ही मालिकाना हक दिलवाया जाने के कथन अंकित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर विधिअनुसार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम गणेशपुरा, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 2–5–00, 201 रकबा 7–7–00 व 268 रकबा 1–0–0 व खसरा संख्या 136 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया है ।

उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर बाबत एक रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 27.10.1959 जो कि जिल्द संख्या 729, सीलसीला नम्बर 2161 पृष्ठ संख्या 207 से 210 तक दिनांक 19.11.1959 को सम्बन्धित उपपंजीयक द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। जिसके अनुसार विवादित आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के द्वारा अपीलांट/वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा व रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के हक में निष्पादित करवाया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श संख्या 01 के रूप में अंकित है।

उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र से यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बन्शीलाल पुत्र लुम्बा व रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से दान की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श संख्या 03 में वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 201 रकबा, 7–7–0 खतौनी जमाबंदी (1350 सन् फसली) में वादीगण के पूर्वज रहमत वल्द तुलसीराम व बन्शी वल्द लुम्बा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है।

इसी प्रकार से प्रदर्श संख्या 05 खतौनी जमाबंदी (सन फसली 1350) में वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 2–5–0 बाबत रहमत वल्द तुलसीराम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज है तथा दौराने सैटलमेंट बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 2–5–0 के नये खसरा 126 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 201 रकबा 7–7–0 नये खसरा नम्बर 150 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 268 रकबा 1 बीघा नये खसरा नम्बर 299 रकबा 0.1699 हैक्टेयर मुर्तिब किये, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श संख्या 02 से स्पष्ट है।

इस प्रकार से वंदोबस्त विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 (खसरा नम्बर) मुर्तिब कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व की भांति अधिकार अभिलेख में अंकित वादीगण के पूर्वज बंशीलाल पुत्र लुम्बा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

एवं रहमत पुत्र तुलसीराम का इन्द्राज नहीं कर उक्त आराजीयात को चर्च आफ स्कॉटलेंट मिसविटीयरल के नाम दर्ज कर दी।

तत्पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिब वर्किंग जमावंदी संवत 2043 में वादग्रस्त आराजीयात को रजिस्टर्ड दानपत्र व कब्जेअनुसार पुनः वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा व रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम दर्ज कर दिया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन/त्रुटिवश पूर्व के राजस्व रिकार्ड एवं रजिस्टर्ड दान पत्र का अवलोकन किये बिना ही वादीगण के पूर्वजों के नाम के साथ चर्च ऑफ स्कॉटलेंड के प्रबंधकर्ता के रूप में दर्ज कर दी।

तत्पश्चात राजस्व कर्मचारीयों द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार आगे की मुर्तिब की गई जमाबंदीयों संवत 2059 से 2062 जो कि प्रदर्श 9 के रूप में तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 प्रदर्श 10 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है में भी उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज का पुनः अंकन किया है। उक्त जमाबंदियों में चर्च ऑफ स्कॉटलैण्डल प्रबंधकर्ता बन्शीलाल पुत्र लुम्बा व रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम दर्ज है।

वादीगण द्वारा उनके पूर्वज के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दान पत्र तथा 1349 सन फसली (खतौनी) में अंकित अपने पूर्वजों के नाम को आधार बनाकर राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वर्तमान जमाबंदी में विधिविरूद्ध तरीके से दर्ज चर्च ऑफ स्कॉटलैंड प्रबंधकर्ता को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की उदघोषणा कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 01 जो कि रजिस्टर्ड दान पत्र है जिससे यह स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा एवं रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किया गया है।

उक्त दान पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दान पत्र में वादग्रस्त आराजीयात बाबत दानदाता द्वारा दानग्रहीता को वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रबंधकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाकर सामान्य रूप से वादग्रस्त आराजीयात दानग्रहीता को प्रदान कर मालिकाना हक दिया गया था।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात बाबत तत्कालीन खतौनी जमाबंदी (सन फसली 1350) जो कि प्रदर्श 3 व 5 के रूप में उपलब्ध है। वादग्रस्त आराजीयात अधिकार अभिलेख में अपीलांट/वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा व रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है।उक्त जमाबंदियों में अपीलांट/वादीगण के पूर्वज जो कि खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत चर्च ऑफ स्कॉटलैंड प्रबंधकर्ता के रूप मे दर्ज नहीं है।

इसी प्रकार से राजस्व कर्मचारियों द्वारा मुर्तिव अन्य जमाबंदी यानी वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 जो प्रदर्श 7 के रूप में अंकित है। वर्किंग जमाबंदी में पूर्व में मुर्तिव जमाबंदीयों एवं रजिस्टर्ड दान पत्र का अवलोकन कर उक्त आराजीयात को केवल वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा एवं रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम दर्ज करना चाहिए था परन्तु सहवन/त्रुटिवश उक्त आराजीयात को केवल चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड के नाम दर्ज कर दी। तथा पुनः मुर्तिब वर्किंग जमाबंदी संवत 2043 जो कि प्रदर्श 8 के रूप मे अंकित है में उक्त वादग्रस्त आराजीयात को पुनः वादीगण के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा एवं रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम को विधिअनुसार उनके कब्जे एवं रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर उनका नाम बतौर रिकार्डेड खातेदार के रूप में अंकित कर दिया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में उनके नाम के साथ चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड प्रबंधकर्ता का भी अंकन कर दिया जबकि प्रदर्श 1 के रूप में उपलब्ध रजिस्टर्ड दान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पत्र में दानकर्ता द्वारा दानग्रहीता को वादग्रस्त आराजीयात दान करते समय उन्हे वादग्रस्त आराजीयात का प्रबंधकर्ता नियुक्त नहीं कर दानपत्र सामान्य रूप से मालिकाना हक देकर तस्दीक किया गया है।

ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण/अपीलांट के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा तथा रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम के साथ राजस्व रिकार्ड में अतिरिक्त नाम **"चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड प्रबंधकर्ता"** विधिविरूद्ध अंकित किया गया है जो कि कानूनीरूप से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित तहसीलदार ब्यावर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2024/1051 दिनांक 19.02.2024 की पालना में संबंधित पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.03.2024 को मुर्तिब मौका पर्चा रिपोर्ट में भी अपीलांट/वादीगण का ही कब्जा होना पाया गया है इसी प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाव के पैरा संख्या 02 में वादग्रस्त आराजीयात बाबत खतौनी जमाबंदी 1350 सन फसली में भी वादीगण के पूर्वज बंशीलाल पुत्र लुम्बा एवं रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम का नाम तावेमरजी मालिक मुद्दत 60 साल व सिलसिला नम्बर खाता खतौनी 5 व 4 के रूप में दर्ज चला आ रहा है।

उक्त आराजीयात का जमाबंदी संवत 2043 से 2046 में पुनः वादीगण/अपीलांट के पूर्वज बन्शीलाल पुत्र लुम्बा तथा रहमत मसीह पुत्र तुलसीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर **"चर्च आफ स्कॉटलैण्ड प्रबंधकर्ता"** के रूप में अंकित किये जाने का स्पष्ट रूप से अंकन किया है।

इसी प्रकार से संबंधित तहसीलदार/राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब दावे के पैरा संख्या 11 में दावे एवं जवाब दावे के निष्कर्ष के रूप मे समस्त राजस्व रिकार्ड एवं रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड क्रमांक 2161 व 2162 दिनांक 19.11.1959 के आधार पर **उक्त राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को दुरूस्त/शुद्ध किये जाने को उचित बताया गया है।** अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **पांची बाई बनाम स्टेट, 2021 (1) आर0आर0टी0 पेज संख्या 278 का ससम्मान** अवलोकन किया, **उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी स्पष्ट किया गया है कि लिपिकीय त्रुटि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधित प्रावधानुसार** बाद जांच **दुरूस्त किया जा सकता है।**

अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात का बिना गहनता के अवलोकन किये तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट में कब्जे संबंधी विषय को विरोधाभासी मानते हुए सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है।

समस्त राजस्व दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा , जवाब तथा रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर अपीलांट/वादीगण के पूर्वज के नाम के साथ विधिविरूद्ध तरीके से अंकित **"प्रबंधकर्ता चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड"** का नाम विलोपित कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 232/2023 (2023/344) में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार ब्यावर को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्राम गणेशपुरा अवस्थित खाता संख्या नया 75 पुराना 95 के खसरा नम्बर 126 रकवा 0. 3642, खसरा संख्या 150 रकबा 1.1898 हैक्टेयर, खसरा संख्या 299 रकवा 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

1619 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या नया 74 व खाता संख्या पुराना 94 खसरा संख्या 136 रकबा 0.1093 में चर्च ऑफ स्कॉटलैण्ड प्रबन्धकर्ता का नाम विलोपित कर अपीलांटस का नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज कर इन्द्राज को दुरूस्त करें। तदअनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner